



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2022/321

दर्ज तिथि:-21.09.2022

1. रामा पुत्र लाधा
2. वगता पुत्र लाधा
3. गवरी पत्नी लाधा फौत के वारिसान वादी संख्या 01 व 02
जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अचला पुत्र गुणेशा कुंवारा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 ता 05, 11
2. आदा पुत्र सोना
3. खीदा पुत्र गुणेशा
4. चंपा पुत्र गुणेशा
5. दला पुत्र गुणेशा
6. पार्वती पत्नी सोना
7. बाबू पुत्र सोना
8. भोमा पुत्र सोना
9. मांगा पुत्र वजा
10. रावता पुत्र वजा
11. लीलू पुत्री भूराराम
12. सांवला पुत्र सोना
जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादी
13. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादी - श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-24.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 183/7.6324 है0 मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी, 139/0.5180 है0, 139/2/0.5099 है0, मौजा गाडरियों की ढाणी एवं खसरा संख्या 109/5.2204 है0, 27/0.0162 है0 मौजा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 09 एवं 10 के अतिरिक्त सभी प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 09 एवं 10 ने जबाब दावा किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। उक्त तनकीयात पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.07.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/423 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/423 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 13.02.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 456-459 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 13.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 456-459 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 13.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 183/7.6324 है0 मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी, 139/0.5180 है0, 139/2/0.5099 है0, मौजा गाडरियों की ढाणी एवं खसरा संख्या 109/5.2204 है0, 27/0.0162 है0 मौजा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 183/7.6324 है0 मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी, 139/0.5180 है0, 139/2/0.5099 है0, मौजा गाडरियों की ढाणी एवं खसरा संख्या 109/5.2204 है0, 27/0.0162 है0 मौजा रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी

डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामा पुत्र लाधा हि0 1/2 वगता पुत्र लाधा हि0 1/2 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	2.800	बा0दो0
गवरी पत्नी लाधा फौत कायम मुकाम वारिश रामा, वगता	गाडरियों की ढाणी	139	0.5180	बा0दो0
	रतनपुरा	109	0.4608	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7788 है0				
मांगाराम पुत्र वजाराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	1.6960	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6960 है0				
आदा पुत्र सोना हि0 424/7841 बाबु पुत्र सोना हि0 424/7841 भोमा पुत्र सोना हि0 424/7841 सांवला पुत्र सोना हि0 424/7841 पार्वती पत्नी सोना हि0 424/7841 जाति कलबी सा0 देह खातेदार खीदा पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 दला पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 लीलू पुत्री भूराराम हि0 2541/39205 अचला पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 फौत कायम मुकाम वारिश खीदा, चांपा, दला, लीलू जाति कलबी सा0 देह खातेदार रावता पुत्र वजा हि0 3180/7841 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	3.1364	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.1364 है0				
मांगाराम पुत्र वजाराम हि0 2702/52695 रावता पुत्र वजाराम हि0 2314/17565 आदा पुत्र सोनाराम हि0 6944/263475 बाबू पुत्र सोनाराम हि0 6944/263475 भोमा पुत्र सोनाराम हि0 6944/263475 सांवला पुत्र सोनाराम हि0 6944/263475 पार्वती पत्नी सोनाराम हि0 6944/263475 खीदा पुत्र गुणेशा हि0 18053/105390 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 18053/105390 दला पुत्र गुणेशा हि0 18053/105390	रतनपुरा	109	4.7596	बा0दो0
	गाडरियों की ढाणी	139/ 2	0.5099	बा0दो0

लीलू पुत्री भूराराम हि0 18053/105390 अचला पुत्र गुणेशा हि0 18053/105390 फौत कायम मुकाम वारिश खीदा, चांपा, दला, लीलू जाति कलबी सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 5.2695 है0				
खीदा पुत्र गुणेशा हि0 1/15 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 1/15 दला पुत्र गुणेशा हि0 1/15 लीलू पुत्री भूराराम हि0 1/15 अचला पुत्र गुणेशा हि0 1/15 फौत कायम मुकाम वारिशान खीदा, चांपा, दला लीलू कौम कलबी मांगा पुत्र वजा हि0 1/9 रावता पुत्र वजा हि0 1/9 आदा पुत्र सोनाराम हि0 1/45 बाबू पुत्र सोनाराम हि0 1/45 भोमा पुत्र सोनाराम हि0 1/45 सांवला पुत्र सोनाराम हि0 1/45 पार्वती पत्नी सोना हि0 1/45 वगता पुत्र लाधा हि0 1/9 रामा पुत्र लाधा हि0 1/9 गवरी पत्नी लाधा हि0 1/9 फौत कायम मुकाम वारिश वगता, रामा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	रतनपुरा	27	0.0162	गै0मु0 बेरा
कुल किता 01 रकबा 0.0162 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2022/321

दर्ज तिथि:-21.09.2022

1. रामा पुत्र लाधा
2. वगता पुत्र लाधा
3. गवरी पत्नी लाधा फौत के वारिसान वादी संख्या 01 व 02
जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अचला पुत्र गुणेशा कुंवारा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 ता 05, 11
2. आदा पुत्र सोना
3. खीदा पुत्र गुणेशा
4. चंपा पुत्र गुणेशा
5. दला पुत्र गुणेशा
6. पार्वती पत्नी सोना
7. बाबू पुत्र सोना
8. भोमा पुत्र सोना
9. मांगा पुत्र वजा
10. रावता पुत्र वजा
11. लीलू पुत्री भूराराम
12. सांवला पुत्र सोना
जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादी
13. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री हरीश चौधरी

प्रतिवादी - श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

--:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 183/7.6324 है0 मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी, 139/0.5180 है0, 139/2/0.5099 है0, मौजा गाडरियों की ढाणी एवं खसरा संख्या 109/5.2204 है0, 27/0.0162 है0 मौजा रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामा पुत्र लाधा हि0 1/2 वगता पुत्र लाधा हि0 1/2 जाति कलबी सा0 देह खातेदार गवरी पत्नी लाधा फौत कायम मुकाम वारिश रामा, वगता	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	2.800	बा0दो0
	गाडरियों की ढाणी	139	0.5180	बा0दो0
	रतनपुरा	109	0.4608	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.7788 है0				
मांगाराम पुत्र वजाराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	1.6960	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6960 है0				
आदा पुत्र सोना हि0 424/7841 बाबु पुत्र सोना हि0 424/7841 भोमा पुत्र सोना हि0 424/7841 सांवला पुत्र सोना हि0 424/7841 पार्वती पत्नी सोना हि0 424/7841 जाति कलबी सा0 देह खातेदार खीदा पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 दला पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 लीलू पुत्री भूराराम हि0 2541/39205 अचला पुत्र गुणेशा हि0 2541/39205 फौत कायम मुकाम वारिश खीदा, चांपा, दला, लीलू जाति कलबी सा0 देह खातेदार रावता पुत्र वजा हि0 3180/7841 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	मघाणी मेघवालों की ढाणी	183	3.1364	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.1364 है0				

मांगाराम पुत्र वजाराम हि0 2702 / 52695 रावता पुत्र वजाराम हि0 2314 / 17565 आदा पुत्र सोनाराम हि0 6944 / 263475 बाबू पुत्र सोनाराम हि0 6944 / 263475 भोमा पुत्र सोनाराम हि0 6944 / 263475 सांवला पुत्र सोनाराम हि0 6944 / 263475 पार्वती पत्नी सोनाराम हि0 6944 / 263475 खीदा पुत्र गुणेशा हि0 18053 / 105390 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 18053 / 105390 दला पुत्र गुणेशा हि0 18053 / 105390 लीलू पुत्री भूराराम हि0 18053 / 105390 अचला पुत्र गुणेशा हि0 18053 / 105390 फौत कायम मुकाम वारिश खीदा, चांपा, दला, लीलू जाति कलबी सा0 देह खातेदार	रतनपुरा	109	4.7596	बा0दो0
खीदा पुत्र गुणेशा हि0 1 / 15 चांपा पुत्र गुणेशा हि0 1 / 15 दला पुत्र गुणेशा हि0 1 / 15 लीलू पुत्री भूराराम हि0 1 / 15 अचला पुत्र गुणेशा हि0 1 / 15 फौत कायम मुकाम वारिशान खीदा, चांपा, दला लीलू कौम कलबी मांगा पुत्र वजा हि0 1 / 9 रावता पुत्र वजा हि0 1 / 9 आदा पुत्र सोनाराम हि0 1 / 45 बाबू पुत्र सोनाराम हि0 1 / 45 भोमा पुत्र सोनाराम हि0 1 / 45 सांवला पुत्र सोनाराम हि0 1 / 45 पार्वती पत्नी सोना हि0 1 / 45 वगता पुत्र लाधा हि0 1 / 9 रामा पुत्र लाधा हि0 1 / 9 गवरी पत्नी लाधा हि0 1 / 9 फौत कायम मुकाम वारिश वगता, रामा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	गाडरियों की ढाणी	139 / 2	0.5099	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 5.2695 है0				
कुल किता 01 रकबा 0.0162 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

